न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

1. खीमाशा पुत्र मोयब वगै. **बनाम** 1.इमामदीन पुत्र वली वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 96 सी पी सी वास्ते अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने बाबत्।

उपस्थित

1. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत अपीलान्ट / आवेदक की ओर से
2. वकील श्री तरूण व्यास रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से
3. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 08.11.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि अपीलांटगण ग्राम नीम्बासर ग्राम पंचायत शिव के रहने वाले है व ग्राम शिव व आसपास के करीब 06–07 गांवो मं कब्रिस्तान भूमि नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा 04 बीघा भूमि कब्रिस्तान के लिए आवंटन की गई थी व उसके पश्चात यह भूमि कम पड़ने के कारण ग्राम पंचायत शिव द्वारा भी समय समय 18 बीघा भूमि आवंटन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पूर्व में आवंटन भूमि खसरा सख्या 343 के मध्य नक्शा में तरमीम की गई है इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री में ग्राम पंचायत शिव के मुसलमान व्यक्ति प्रभावित हो रहे है व उनका खसरा संख्या 343 में हित निहित है इसलिए न्यायाहित में प्रार्थीगण को इस अपील में आवश्यक पक्षकार बनाया जावें इसलिये प्रार्थीगण के हित हस्तगत अपील से पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है तथा प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार भी है इसलिये प्रार्थीगण को इस अपील में बतौर अपीलांट के रूप में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित हैं।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील जनहित में पेश की गई है इसलिए अपीलांट का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध नहीं है। अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है और दुसरा पक्ष इसमें न तो हितबद्ध है और नहीं पक्षकार जोड़ने योग्य है केवल उतरदाता को तंग एवं परेशान करने के लिए और ब्लेक मैल करने की नियत से पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलांटगण हितबद्ध, पिड़ित पक्षकार नहीं है। अतः अपीलांटगण का आवेदन अनुमति बाबत् अस्वीकार कर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को प्रार्थना–पत्र अपील अनुमति पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक हिस्सा निहित नहीं है तथा अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार रूप में संयोजित नहीं है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कोई हित निहित नहीं होने से अपीलांटगण आवश्यक एवं प्रभावित/पीड़ित पक्षकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश धारा 96 सी पी सी अपील अनुमति बाबत् खारिज करने योग्य ठहरता है।

अतः अपीलांटगण का आवेदन खारिज होने से अपील की अनुमति नहीं होने से अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

08/11/19

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

08/11/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner